

an>

Title: Need to provide potable water in all the villages of Bhagalpur, Bihar.

श्री शेतेश कुमार (भागलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा क्षेत्र भागलपुर जो गंगा नदी के उत्तरी और दक्षिणी छोर पर बसा हुआ है। स्थानीय शोध और निष्कर्ष से यह स्थापित हो गया है कि गंगा छोर के उत्तरी और दक्षिणी छोर पर 20 किलोमीटर की परिधि में आने वाला क्षेत्र आर्सेनिक प्रूषाधित क्षेत्र है। इनमें नारायणपुर प्रखंड के अधिकारिक गांव इससे प्रूषाधित हैं। वीरबना एक छोटा सा गांव है और उस गांव में प्रत्येक साल कम से कम एक व्यक्ति की मृत्यु आर्सेनिक की वजह से होती है। इरलामपुर जिसे हमने आर्टर्श ग्राम के रूप में चर्चित किया है, उस प्रखंड के अंदर आने वाले काफी गांव आर्सेनिक से प्रूषाधित हैं। 20 वर्ष की आयु के लोग 80 वर्ष के बड़े नजर आते हैं। गर्भवती महिलाओं के बच्चे कुपोषण के शिकार होकर हो रहे हैं। आर्सेनिक प्रूषाधित इन क्षेत्रों में आर्सेनिक मुक्त पेयजल के लिए बहुग्रन्थीण पार्किंग लाइन जलापूर्ति योजना की स्वीकृति दी जाए। पीरपटी और सुलतानगंज प्रखंड में यह स्कीम पहले से स्वीकृत है तो किन इस स्कीम को सेवण मुक्त दोनों गांवों में आर्सेनिक मुक्त पेयजल के लिए बहुग्रन्थीण पार्किंग लाइन जलापूर्ति योजना की स्वीकृति दी जाए।